

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 599]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई 2025 — श्रावण 9, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2025/रास/यू-2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधान अंतर्गत मैट्स विश्वविद्यालय, आरंग, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का नाम-सूची (पैनल) प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन समिति का गठन किया गया है :-

1.	Prof. (Dr.) Dinesh Kumar Verma, Principal, Govt. Arts and Commerce College, Devendra Nagar, Raipur	उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	Prof. (Dr.) Awdhesh Kumar Tripathi, Dean, College of Dairy Science & Food Technology, DSVC Kamdhenu University, Durg (C.G.)	प्रायोजक निकाय (श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्	सदस्य
3.	Prof. (Dr.) Rajesh Dubey (Rtd.), PG Principal, Shaheed Rajeev Pande Government College Bhatagaon, Raipur (C.G.)	प्रायोजक निकाय (श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्	सदस्य

2/ उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का नाम-सूची (पैनल) माननीय कुलाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी।

हस्ता./—

(हिना अनिमेष नेताम)
राज्यपाल के उप-सचिव.